मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालय: टैगोर छात्रावास श्यामला हिल्स, भोपाल-462002
दूरभाष एवं फैक्स: 0755.2660461 email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक/सचि./ओएसडी/2022/**2027** दिनांक- 02.12.2022

निविदा विज्ञप्ति

शुल्क निर्धारण संबंधी कार्य हेतु सी.ए.-फर्म से अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रण

प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, म.प्र. द्वारा निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण किया जाता है।

शुल्क निर्धारण हेतु संस्था की बेलेंस शीट/आय-व्यय के आधार पर समिति के नियमानुसार शुल्क की गणना आदि का कार्य सी.ए. द्वारा किया जाता है। आगामी सत्रों की शुल्क निर्धारण कार्य हेतु इच्छुक सी.ए. फर्म द्वारा दरें/प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। निविदा से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी समिति, सचिवालय की बेवसाईट **www.afrcmp.org** से प्राप्त की जा सकती है।

सही/-

सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, भूतल, वाएं विंग, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, ई–मेल : afrcmp@gmail.com, बेवसाईट– www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2022 / 2030 दिनांक – 2/12/22

शुल्क निर्धारण संबंधी कार्य हेतु सी.ए.–फर्म से अनुबंध हेतु निविदा आमंत्रण

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत् प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति गठित है। उक्त समिति द्वारा प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुल्क निर्धारण किया जाता है। संस्थाओं से उनके निर्धारित पूर्व वित्तीय वर्ष / वर्षों में हुये वास्तविक व्यय के आधार पर फीस निर्धारण हेतु प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं।

संस्थानों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों का परीक्षण करने के उपरांत शुल्क की गणना कर समिति की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाता है। आगामी सत्र 2023–24, 2024–25 एवं 2025–26 के ब्लॉक की शुल्क निर्धारण संबंधी कार्य हेतु सी.ए.–फर्म को अनुबंधित किया जाना है।

इस हेतु निर्धारित योग्यता, अनुभव आदि रखने वाले इच्छुक सी.ए.–फर्म से **दिनांक 02.01.2023 को सायं 5.00 बजे** तक निविदा प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं कार्य के संबंध में विस्तृत शर्ते आदि इस संस्थान की वेबसाईट www.afrcmp.org पर देखी जा सकती है।

सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

निविदा कर्ताओं हेतु आवश्यक शर्तें

(निम्न के संबध में आवश्यक प्रमाण–पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियाँ/संलग्न प्रारूप में प्रमाणन संलग्न करना अनिवार्य है)

a) सी.ए.–फर्म को कम से कम विगत् 10 वर्षों से सी. ए.–फर्म के रूप में इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड अकाउटेन्ट मे पंजीबद्ध होना चाहिये।

b) संबंधित फर्म का पंजीयन वर्तमान मे वैध होना चाहिये।

c) संबंधित फर्म ने कम से कम 05 शासकीय/अर्द्व–शासकीय कार्यालय का अंकेक्षण कार्य किया हो।

d) संबंधित फर्म के पास इस कार्य के लिये पर्याप्त संसाधन एवं कम से कम 10 की संख्या में अधीनस्थों/आर्टिकल आदि का स्टाफ आडिटिंग कार्य के लियें होना चाहिये।

e) फर्म का मुख्यालय/पार्टनरशिप का कार्यालय भोपाल में होना चाहिये।

मुख्यतः निम्नलिखित कार्य सी.ए.–फर्म को करना होगा :

1) इस समिति के अंतर्गत आने वाली समस्त संस्थाओं के द्वारा संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों के आय–व्यय पत्रक का पाठ्यक्रमवार निर्धारित मापदण्डों के अधीन निर्धारित समय–सीमा में परीक्षण करना।

2) संस्था के प्रस्ताव प्राप्त होने पर समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप संस्थान के संबंधित पाठ्यक्रम का पृथक–पृथक शुल्क निर्धारण हेतु गणना पत्रक (Working in Excel Sheet) तैयार करना।

3) समिति द्वारा समय–समय पर आयोजित बैठकों में समिति के अध्यक्ष/सचिव के निर्देशानुसार उपस्थित रहकर प्रकरणवार प्रस्तुतीकरण करना।

अन्य विवरणः–

1) संस्थानों से वांछित जानकारी प्राप्त होने पर प्रस्तुत जानकारी का पुर्नअवलोकन करना/परीक्षण करना इसके उपरांत कार्यालय द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्य पूर्ण करना।

2) संस्थान से यदि किसी बिन्दु पर जानकारी प्राप्त किया जाना शेष है तो उसे प्राप्त करने हेतु कार्यालय का सहयोग करना तथा जानकारी प्राप्त कराना।

3) संस्था/कोर्स की वित्तीय जानकारी (यथा बेलेंस शीट/आय–व्यय पत्रक आदि) प्राप्त होने पर 07 दिवस के भीतर या इसके पूर्व संस्था की शुल्क की वर्किंग/केलुकुलेशन शीट तैयार कर सचिव को प्रस्तुत करना होगी।

4) समिति अंतर्गत वर्तमान में तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम अनुमानित 970, उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 1000 एवं चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत 500 पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनकी वास्तविक संख्या में कमी अथवा बढ़त हो सकती है। लगभग 600 से 800 पाठ्यक्रमों की शुल्क प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। समिति द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की शुल्क के आधार पर ऐसी संख्या हेतु निर्धारित प्रति पाठ्यक्रम की दर से देयक प्रस्तुत करने पर कार्य के सत्यापन उपरांत राशि भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।

5) उक्त समस्त कार्य के लिए प्रति यूजर न्यूनतम फीस रूपये 1000/– (राशि रू. एक हजार मात्र) निर्धारित की गई है, जिस पर नियमानुसार शासकीय कर (GST आदि) अतिरिक्त देय होगा।

6) वित्तीय प्रस्ताव पर कोई भी ओवर राइटिंग/कटिंग नहीं होना चाहिए। कटिंग/अस्पष्टता की स्थिति में न्यूनतम राशि को ही मान्य किया जावेगा।

7) कार्य आदि के संबंध में समस्त जानकारी आप इस कार्यालय में कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त कर सकते हैं।

8) संबंधित फर्म द्वारा निर्धारित कार्य समय पर पूर्ण न करने की स्थिति में भुगतान योग्य राशि में पैनॉल्टी राशि काटी जा सकती है/अनुबंध निरस्त किया जा सकता है/अन्य कार्यवाही की जा सकती है। इस संबंध मे अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का निर्णय अंतिम होगा जो कि संबंधित फर्म को मान्य करना होगा।

9) इच्छुक फर्म को निविदा प्रस्ताव सील बंद लिफाफों मे निम्नानुसार प्रस्तुत करना होगा।

(अ) लिफाफा–1– इस सील बंद लिफाफे के ऊपर "चार्टेड अकाउन्टेंट फर्म की सेवा हेतु तकनीकी बिड" लिखा होना चाहिये। (इसमें आवेदन पत्र, पत्रक–1, परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' रूपये 1000/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं अन्य आवश्यक प्रमाण–पत्र रखे जाना चाहिये)

(ब) लिफाफा–2 – इस सील बंद लिफाफे पर "चार्टड अकाउटेन्टस फर्म की सेवाएँ हेतु वित्तीय प्रस्ताव" स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए (इस लिफाफे मे केवल वित्तीय प्रस्ताव रखे जावें)

(स) लिफाफा–3 के ऊपर "चार्टड अकाउटेन्टस फर्म की सेवाएँ हेतु प्रस्ताव" लिखा हो, (इस लिफाफे में उपरोक्तानुसार लिफाफा–1 एवं लिफाफा–2 रखे जावे)

10) प्रस्ताव सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, भूतल, वाएं विंग, श्यामला हिल्स, भोपाल–462002 को रजिस्टर्ड डाक से अथवा स्वयं उपस्थित होकर कार्यालयीन दिवस में **दिनांक 02.01.2023** तक जमा किये जा सकते हैं। प्रस्ताव निर्धारित तिथि एवं निर्धारित समय तक इस कार्यालय के आवक–जावक शाखा मे प्राप्त हो जाना चाहिए, डाक इत्यादि में विलम्ब के कारण प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निविदा शुल्क के रूप में रूपये 1000/– का डिमांड ड्राफ्ट, सचिवालय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल के नाम से देय हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

11) निविदा खोले जाने की दिनांक को निविदा कर्ता फर्म अथवा उनका प्रतिनिधि कार्यालय में उपस्थित रह सकता है।

12) प्रथमतः तकनीकी बिड खोली जावेगी। तकनीकी बिड में सम्पूर्ण शर्तों को पूरा करने वाले निविदा दाता की वित्तीय बिड खोली जाकर विचार में लिया जावेगा।

13) जिन निविदा दाता द्वारा तकनीकी बिड की शर्तें पूरी नहीं होगी, ऐसे निविदा दाता की वित्तीय बिड नहीं खोली जावेगी और न ही ऐसी प्राप्त निविदा विचार में ली जावेगी।

14) रिसपान्सिव फर्मो के वित्तीय प्रस्ताव निर्धारित तिथि को खोले जावेंगे जिसकी सूचना समिति की वेबसाईट पर दर्शित की जावेगी एवं संबंधित निविदा कर्ताओं को ईमेल से भी भेजी जावेगी। प्रस्तावक इस हेतु नियमित रूप से समिति की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

15) रिसपान्सिव न्यूनतम दर प्रदायकर्ता को उक्त कार्य हेतु आदेश दिये जा सकते है, यदि दो प्रदायकर्ताओं की दरें समान होती हैं तो अधिक वर्षों के अनुभवी फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। अनुभव वर्षों में समानता होने पर अधिक टर्न ओवर वाली फर्म को प्राथमिकता दी जायेगी। इस संबंध में अध्यक्ष, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति का निर्णय अंतिम होगा। निविदा संबंधी कार्यवाही को निरस्त करने का अधिकार प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

16) न्यायालयीन स्थिति में अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा।

फर्म की पूर्ण जानकारी

स.क्र.	जानकारी विवरण	
1	फर्म/पार्टनरशिप फर्म का नाम	
2	प्रोपराईटर/पार्टनरर्स के नाम	
3	पत्र व्यवहार का पूर्ण पता	
4	दूरभाष कमांक	
5	मोबाईल नम्बर	
6	फर्म/ पार्टनरशिप फर्म का इंस्टीटयूट ऑफ चार्टड अकाउटेन्ट में पंजीयन कमांक एवं दिनांक	
7	फर्म/ पार्टनरशिप फर्म के पंजीयन के उपरांत कार्य करने के पूर्ण वर्ष (अनुभव)	
8	फर्म/ पार्टनरशिप फर्म अब तक कितने शासकीय/अर्द्ध शासकीय/स्वशासी संस्थाओ का अंकेक्षण कार्य किया है जानकारी **परिशिष्ट–अ** में भी अंकित की जावे।	
9	फर्म/पार्टनरशिप फर्म के कार्यालय में आडिट कार्य हेतु कार्यरत अधीनस्थो/आर्टिकल की संख्या जानकारी **परिशिष्ट–ब** मे भी अंकित की जावे।	
10	विगत पाँच वर्षों में फर्म का वार्षिक टर्न ओवर	
	वर्ष 2017–18	रूपये
	वर्ष 2018–19	रूपये
	वर्ष 2019–20	रूपये
	वर्ष 2020–21	रूपये
	वर्ष 2021–22	रूपये

नोट– फर्म का पंजीयन एवं कार्य अनुभव से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है।

घोषणा

मैने प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, सचिवालय द्वारा आमंत्रित निविदा सूचना के संबंध में समस्त जानकारी अच्छी तरह प्राप्त कर ली है, जो मुझे मान्य है। मेरे द्वारा प्रस्तुत समस्त जानकारी सही है। मुझे/मेरी फर्म को पंजीयन दिनांक से आज तक किसी कार्यालय द्वारा अंकेक्षण कार्य/फर्म के निर्धारित कार्य हेतु अयोग्य नही ठहराया गया हैं।

अधिकृत के हस्ताक्षर

स्थानः–
तिथिः–

फर्म का नामः–
पताः–

सीलः–

परिशिष्ट "अ"

फर्म/पार्टनरशिप फर्म द्वारा अब तक शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं के अंकेक्षण की जानकारी

क्र.	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओ का नाम जहा आपके द्वारा अंकेक्षण किया गया हो	वित्तीय वर्ष जिस अवधि का अंकेक्षण किया गया है	शासकीय/अर्द्ध शासकीय संस्थाओं संस्थाओ का पता एवं दूरभाष कमांक
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

अधिकृत के हस्ताक्षर

फर्म का नामः–

स्थानः–

पताः–

दिनांकः–

फर्म/पार्टनरशिप फर्म के कार्यालय में आडिट कार्य हेतु वर्तमान में कार्यरत अधीनस्थों/आर्टिकल की जानकारी :–

कमांक	नाम	योग्यता	संबधित का दूरभाष कमांक
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

अधिकृत के हस्ताक्षर

फर्म का नामः–

स्थानः–

पताः–

तिथिः–

परिशिष्ट "स"

वित्तीय प्रस्ताव

(कृपया वित्तीय प्रस्ताव पृथक सील बंद लिफाफे मे रखा जावे)

फर्म का नाम..

पता...

टेलीफोन नं..

मोबाईन नं..

Email ID...

सं.क्र.	सी.ए.–फर्म द्वारा समस्त कार्य हेतु प्रति संस्था, प्रति पाठ्यक्रम ली जाने वाली राशि रूपये में (शासकीय कर नियमानुसार अतिरिक्त देय होगा)	
	अंकों में	शब्दो में
1		

अधिकृत के हस्ताक्षर

फर्म का नामः–

स्थानः–

रजिट्रेशन नं.–

दिनांक–

सील–